जीविका

परियोजना की रूप–रेखा

गरीबों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक संसाधन का विकास

मितव्ययिता बचत, आंतरिक ऋण आदान–प्रदान, ऋण प्राप्ति एवं वापसी

छः जिलों में 100 प्रखंड स्तरीय संघ

एक प्रखंड स्तरीय संघ में लगभग 25–30 ग्राम संगठन

एक ग्राम संगठन में लगभग 8–16 स्वयं सहायता समूह

10–15 महिला सदस्यों का स्वयं सहायता समूह

सामाजिक संसाधन का आर्थिक संसाधन में परिवर्तन

संपत्तीकरण, क्रियाशील समूह गठन तकनीकी,व्यावसायिक एवं प्रबंधन कौशल का विकास, बाजार में साथ की सहभागिता एवं संबंध

वाणिज्यिक क्षेत्र, सहकारिता, बैंक एवं सेवा प्रभाग

उत्पादक संगठनों का बड़ा समूह

छोटे–छोटे उत्पादक समूह मिलाकर उत्पादन संगठन

समूह सदस्यों द्वारा गतिविधि आधारित उत्पादक समूह

सामाजिक जागरण / उत्प्रेरण

- लक्ष्य आबादी की साझेदारी द्वारा समतापूर्ण विकास को प्रोत्साहन देना।
- संस्थानों और संघों द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक पूंजी का निर्माण।
- लोगों की आकांक्षाओं को स्वर देना

सामाजिक उत्प्रेरक

आजीविका में बेहतरी /सुधार

- दक्षता निर्माण
- खाद्य सुरक्षा
- उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक सेवाएँ
- संपत्ति सर्जन तथा आय बढ़ाना
- वित्तीय सेवाओं तक पहुँच
- स्वास्थ्य और बीमा सेवा कम शुल्क में उपलब्धता
- व्यावसायिक क्षेत्र से संपर्क द्वारा व्यापार में बेहतर शर्तें
- विकसित होते क्षेत्रों में गरीबों की भागीदारी और लाभ

संवहनीय आजीविकाओं का सहयोग

गरीबों की स्व–पोषित और स्व–प्रबंधित संस्थाओं तथा संघों को सहयोग

जीविका की भूमिका

- उत्प्रेरण तथा क्षमता निर्माण
- व्यावसायिक बैंकों से संपर्क बनवाना
- निजी, सार्वजनिक तथा एन.जी.ओ. क्षेत्र की भागीदारी बनाना।
- गरीबों के लिए बेहतर वातावरण बनाना
- नवीन ग्रामीण आजीविकाओं को प्रोत्साहन।

आजीविका प्रोत्साहन तथा सुविधाएँ

अधिकार एवं उत्तरदायित्व /कर्त्तव्य

- दक्षता निर्माण
- सूचना की उपलब्धता/पहुँच
- उनकी आवाज को दिशा देना
- सार्वजनिक तथा निजी सेवाओं को गरीबों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना
- स्थानीय प्रशासन से बेहतर संपर्क बनाना और साझेदारी

सूचना, पहुँच और जवाबदेही

समूह के पूंजीकरण के विभिन्न चरण

समूह का गठन एवं क्षमता विकास

पंच सूत्र
1) साप्ताहिक बैठक
2) साप्ताहिक बचत
3) नियमित उधार लेना
4) ऋण की समय पर वापसी
5) नियमित एवं सही ढंग से लेखा–जोखा

बैंक खाता

संसाधनों के समुचित उपयोग, सामुदायिक सशक्तीकरण एवं निर्णय क्षमता विकास हेतु सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया (माइक्रो–प्लानिंग)

सामुदायिक निवेश निधि
आरंभिक पूंजीकरण निधि
खाद्य सुरक्षा निधि
स्वास्थ्य सुरक्षा निधि

बैंकों के साथ वित्तीय संबद्धता

जीविका

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021
टेली/ फैक्स: +91–612–250 4980 / 60

www.brlp.in

बिहार सरकार

जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धनों को स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त करने के उद्देश्य से बिहार ग्रामीण जीविको–पार्जन परियोजना की स्थापना की है।

इसका संचालन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा किया जाता है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत निबंधित है। इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2007 को किया गया है पाँच वर्षों में इसका लक्ष्य पाँच लाख परिवारो तक पहुँचने का था।

परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के छः जिलों – मधुबनी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, नालंदा, गया एवं पूर्णिया के कुल 18 प्रखंडों में कार्य प्रारंभ किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 से इसका विस्तार उपर्युक्त जिलों के 24 अन्य प्रखंडों के अतिरिक्त मधेपुरा एवं सुपौल जिला के एक–एक प्रखंड में किया गया।

1 जुलाई 2010 से सुपौल एवं मधेपुरा के उपर्युक्त दो प्रखंडों को कोसी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत जीविका परियोजना में शामिल किया गया। इनके अलावा परियोजना में सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा जिले के 11 अतिरिक्त प्रखंडों में भी दिसम्बर 2010 से कार्य प्रारंभ किया गया है।

13 प्रखंडों में कोसी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के चौथे अवयव के अंतर्गत जीविकोपार्जन की पुनर्प्राप्ति तथा संवर्द्धन हेतु परियोजना में अपनायी गयी सामुदायिक संस्था के मॉडल के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

केन्द्र सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिये जाने के उपरांत बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से इस मिशन के क्रियान्वयन हेतु जीविका परियोजना को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में नामित किया गया जिसके फलस्वरूप वर्ष 2012–13 में प्रथम चरण वाले छः जिलों के शेष बचे 60 प्रखंडों, 12 अन्य जिलों में तीन–तीन प्रखंडों के तथा शेष 17 जिलों में एक–एक प्रखंड में, इस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। शेष बचे 366 प्रखंडों में इसका क्रियान्वयन वर्ष 2013–14 में क्रमिक रूप से किया जाएगा।

परियोजना का उद्देश्य

ग्रामीण गरीबों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण हेतु–

स्व–प्रबंधित सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण करना

- उनके लिए दीर्घकालीन जीविकोपार्जन के साधनों का विकास करना तथा
- उनकी खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सामाजिक सुरक्षा के अवयवों को प्रभावी बनाना

परियोजना के अवयव

परियोजना के निम्न चार प्रमुख घटक हैं –

- समुदाय विकास कोष के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के उत्पादक समूहों एवं संगठनों का सुदृढ़ीकरण सम्मिलित है।
- समुदाय निवेश कोष के अंतर्गत प्रारंभिक पूंजीकरण एवं खाद्य सुरक्षा कोष, जीविका कोष, सामाजिक विकास कोष, सेवा प्रभार एवं विकास कोष सम्मिलित हैं।
- तकनीकी सहयोग एवं विकास सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान है।
- मानव संसाधन, अनुश्रवण एवं संचारण हेतु परियोजना प्रबंधन का प्रावधान है।

परियोजना की संस्थागत व्यवस्था

बिहार सरकार के वित्त विभाग के अंतर्गत बनायी गयी इस संस्था की कार्यकारिणी समिति, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित हैं। इसमें बिहार सरकार के कई अन्य विभागों के प्रधान यथा: प्रधान सचिव–वित्त विभाग, प्रधान सचिव–ग्रामीण विकास विभाग, प्रधान सचिव–समाज कल्याण विभाग, महानिदेशक–बिपार्ड, प्रबंध निदेशक–महिला विकास निगम, निदेशक–आई. सी.डी.एस., प्रबंध निदेशक–कॉम्फेड, सी.जी.एम.–नाबार्ड, कार्यकारी निदेशक –प्रदान एवं राष्ट्र स्तर की गैर सरकारी संस्थाओं की प्रतिनिधि के रूप में सिस्टर सुधा वर्गिज सदस्य हैं। संस्था के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी नियुक्त हैं ।

जीविका कार्यक्षेत्र

जिला	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण
पूर्णिया	बनमनखी, धमदाहा बरहरा कोठी	भवानीपुर, रुपौली बायसी, अमौर	कृत्यानंद नगर, पूर्वी पूर्णिया,कसबा, डगरूआ, जलालगढ, श्रीनगर, बैसा
गया	बोधगया, डोमी, खिज़रसराय, शेरघाटी	आमस, अतरी, बाराचट्टी, गुरुआ, मानपुर, टनकुप्पा, वजीरगंज	टेकारी, इमामगंज, फतेहपुर, मोहरा, मोहनपुर, कोच, बेलागंज, बांकेबाजार, गयासदर, गुरारू, बथानी, परैया
नालंदा	हरनौत, राजगीर, सरमेरा	नूरसराय, रहुई, बिहारशरीफ, नगरनौसा	इस्लामपुर, एकंगरसराय, हिलसा, बेन, बिन्द, अस्थावाँ, चण्डी, सिलाव, कतरीसराय, गिरीयक, थरथरी, करायपरसुराय, परवलपुर
मुजफ्फरपुर	बोचहा, मीनापुर, मुसहरी	मुरौल (ढोली), कुढ़नी, सकरा सरैया	पारू, औराई, गायघाट, कटरा, मोतीपुर, साहेबगंज, मारवाँ, बान्दरा, काँटी
मधुबनी	राजनगर, बेनीपट्टी, खजौली	लखनौर, पण्डौल, जयनगर, झंझारपुर	मधुबनी, मधेपुर, बाबूबरही, बासोपट्टी, घोघरडीहा, बिस्फी, लदनियाँ हरलाखी, लौकाहा, माधवपुर, खुटौना, अंधराठाड़ी, फुलपरास, कलुआही
खगड़िया	खगड़िया, अलौली	चौथम	गोगरी, परबत्ता, बेलदौर, मानसी

कोसी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के अंतर्गत

सहरसा	सौरबाजार, पथरघाट, सोनबरसा
मधेपुरा	कुमारखंड, मुरलीगंज, मधेपुरा सदर, बिहारीगंज, किशनगंज, ग्वालपारा
सुपौल	छातापुर, बसंतपुर, प्रतापगंज, त्रिवेणीगंज

12 अन्य जिलों के तीन–तीन प्रखंड

भागलपुर	पीरपैन्ती, कहलगाँव, सुल्तानगंज
दरभंगा	बिरौल, बहेड़ी, बहादुरपुर
गोपालगंज	कुचैकोट, बैकुण्ठपुर, बरौली
जमुई	चकाई, झाझा, सोनो
कटिहार	कोढ़ा, कदवा, मनीहारी
नवादा	नवादा, अकबरपुर, वारसलीगंज
प.चम्पारण	बगहा–2, मझौलिया, नरकटियागंज
पटना	पालीगंज, मसौढ़ी, धनरूआ
पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर, मोतीहारी, ढाका
रोहतास	सासाराम, शिवसागर, दिनारा
समस्तीपुर	कल्याणपुर, समस्तीपुर, विभूतिपुर
सीतामढ़ी	रून्नीसैदपुर, बाथनाहा, डुमरा

शेष 17 जिलों के अंतर्गत एक–एक प्रखंड

अररिया	रानीगंज
अरवल	कलेर
औरंगाबाद	नबीनगर
बाँका	बौसी
बेगूसराय	बेगूसराय
भोजपुर	शाहपुर
बक्सर	सिमरी
जहानाबाद	मखदुमपुर
कैमूर	भभुआ
किशनगंज	कोचाधामन
लखीसराय	सूरजगढ़ा
मुंगेर	खड़गपुर
सारण	गरखा
शेखपुरा	शेखपुरा
शिवहर	तरियानी
सिवान	बरहरिया
वैशाली	हाजीपुर

परियोजना की कार्यविधि

निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु परियोजना की विशिष्ट कार्यविधि निर्धारित है। इसकी कुछ प्रमुख विशिष्टताएँ निम्न प्रकार हैं –

- ग्रामीण महिलाओं के सशक्त संगठन का निर्माण कर आजीविका संबंधी गतिविधियों का संपादन तथा बहुउद्देशीय उत्पादक समूहों का निर्माण करना।
- ग्रामीण महिलाओं के संगठनों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु बचत, आंतरिक लेन–देन तथा निरंतर अदायगी सुनिश्चित कर आवश्यकतानुसार बाहरी वितीय संस्थाओं के साथ उन्हें जोड़ना।

परियोजना की विशेषता

जीविका परियोजना के ढाँचे में परंपरागत विकास मॉडल के अनुभवों के साथ रचनात्मक तरीकों का भी समावेश किया गया है जो परियोजना को विशिष्ट पहचान दिलाते हैं –

- परियोजना केवल ग्राम स्तरीय संगठनों के निर्माण का ही नहीं, बल्कि आजीविका आधारित उत्पादक समूहों तथा ग्राम संगठनों के संघों का निर्माण कर उन्हें मजबूती प्रदान करने के महत्वपूर्ण ध्येय के साथ आगे बढ़ रही है।
- संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण में अधिक निवेश हेतु जीविका अपने सदस्यों की क्षमता बढ़ाने और उनके संस्थागत विकास पर बल देती है।
- परियोजना के अंतर्गत ग्राम स्तरीय संगठनों एवं उनके संघों की मदद के लिए, अपने कार्यक्षेत्र के सभी गाँवों में,"पारा प्रोफेशनल" ढाँचे को बढ़ावा दिया जा रहा है जो आगे चलकर ग्राम स्तरीय संगठनों एवं उनके संघों को स्व–प्रबंधित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- परियोजना "सब्सिडी" मॉडल के बदले स्वविकास विचारधारा को प्रमुखता देती हैं।
- परियोजना "सेचुरेशन मॉडल" पर कार्य करती है। तदनुसार प्रखंड के गाँवों तथा उन गाँवों के लक्षित परिवारों को परियोजना के साथ जोड़ा जाना है।
- ग्राम संगठनों तथा उनके संघों के आर्थिक विकास हेतु कुल परियोजना लागत की आधी से भी ज्यादा राशि समुदायिक निवेश निधि के रूप में है इसका व्यापक उपयोग इन सामुदायिक संगठनों को बाहरी वित्तीय संस्थानों की दृष्टि में योग्य ग्राहक संस्थान के रूप में विकसित करता है।
- विशेष तकनीकी सहायता और विकास निधि के अंतर्गत उन तकनीकी सहयोगी एजेंसियों के साथ साझेदारी की जा रही है, जिन्हें आजीविका सुधार, वित्तीय सेवाएँ, और गरीबों के नवीन और दृढ़ संगठन विकसित करने के अनुभव हों।
- आजीविका के पारंपरिक एवं गैर–पारंपरिक क्षेत्रों में विशिष्ट पहल की जा रही है। कृषि में श्री विधि जैसी नई तकनीक के प्रयोग से उपज में बढोतरी हुई है साथ ही सेवा क्षेत्र में साझेदारी कर रोजगार के अवसर सृजित कराए जा रहे हैं।